प्रशासन गांव संग अभियान 2021

# न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या
**25/2021 प्रा0प0**

फैसल दिनांक
**22.10.2021**

उनवान

नारायणलाल पिता किशनलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
...............प्रार्थी

**।। बनाम ।।**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर
............ विपक्षी

भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956</u>**

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम ग्राम कन्नौज पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदेसर की खाता सं. 730 में दर्ज आराजी नं0 703,704,705, 706,707,708,709,713,715 एवं 761 कुल किता 10 कुल रकबा 4.05 हैक्टेयर स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम चम्पा लाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम किशन लाल होकर प्रार्थी के राशन कार्ड, विद्यालय की मार्कशीट,आधार कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम किशन लाल अंकित है एवं इसी नाम से जाना पहचाना जाता है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम किशन लाल के बजाय चम्पा लाल दर्ज हो गया है। इसलिये राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी अ[illegible] नाम चम्पा लाल के बजाय किशन लाल अंकित करा दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] प्रार्थी ने हक हिस्से वाली आराजीयात पर केसीसी ऋण के लिए आराजीयात की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी को उ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.11 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

की जानकारी हुई। जानकारी होते ही उक्त त्रुटि दुरूस्त कर शुद्धिकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम चम्पा लाल के बजाय किशन लाल अंकित जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा कन्नौज खाता संख्या 730 संवत् 2076
2. प्रार्थी का आधार कार्ड
3. ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपने पिता का नाम चम्पा लाल के बजाय किशन लाल जाट राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम किशन लाल के बजाय रमेशचन्द्र कर दिया गया जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज ग्राम कन्नौज पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदेसर की खाता सं. 730 में दर्ज आराजी नं0 703,704,705, 706,707,708,709,713,715 एवं 761 कुल किता 10 कुल रकबा 4.05 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम चम्पा लाल के बजाय किशन लाल जाट शुद्धि से इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत भदेसर शिविर में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.11 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner